

॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या 01/2026)

Regarding CBT Result & Document Verification

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना बिहार के विज्ञापन संख्या 01/2026 [PR. No. 003875 (B&C) 2026 -27] के द्वारा समिति अंतर्गत राज्य स्तरीय (12) एवं जिला स्तरीय (08) कुल 20 संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का Computer Based Test (CBT) दिनांक-19 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी।

विज्ञापन के विस्तृत-निर्देश में निहित कोटिवार अभ्यर्थियों को CBT में प्राप्त प्राप्तांक घोषित कर दिया गया है। विस्तृत निर्देश की कंडिका 11 (vi) में उल्लेखित CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में 1:5 अथवा अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर (एकल पद हेतु) एवं 1:2.5 अथवा अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर (एक से अधिक पद हेतु) के अनुपात में प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसकी विस्तृत विवरणी बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के अधिकृत वेबसाइट <https://bsacs.bihar.gov.in> पर प्रकाशित है। CBT परीक्षा में प्राप्तांक की विवरणी हेतु अभ्यर्थियों का Score Card बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification) हेतु कोटिवार आमंत्रित अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों हेतु कट-ऑफ अंक निम्नवत् है -

(Note – O- Male+Female+TG, F- Female)

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Lab Technician - ICTC)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	52	185	141
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	11	130	75
3.	अनुसूचित जाति (SC)	24	89	#
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	#	
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	15	163	82
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	03	97	

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Counsellor - ICTC)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनुसूचित जाति (SC)	15	#	
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	#	
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	12	96	93

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Lab Technician - Blood Centre)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	14	145	102
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	03	115	#
3.	अनुसूचित जाति (SC)	06	#	
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	01	140	
5.	पिछड़ा वर्ग (BC)	02	127	
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	01	89	

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Counsellor- Blood Centre)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	01	136	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	#	
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	01	#	

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Cluster Programme Manager-CPM)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	03	181	84
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01	159	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	130	
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	02	#	
5	पिछड़ा वर्ग (BC)	01	142	

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Clinical Services Officer-CSO)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	03	#	
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01		
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01		
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	02		
5.	पिछड़ा वर्ग (BC)	01		

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Data Monitoring & Documentation Officer-DMCO)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	03	#	
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01		
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01		
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	02		
5.	पिछड़ा वर्ग (BC)	01		

विज्ञापन संख्या – 01/2026 (Cluster Prevention Officer-CPO)				
क्र.सं.	कोटि	रिक्तियों की संख्या	कट –ऑफ अंक	
			O	F
1.	अनारक्षित (UR)	02	#	
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	01		

विज्ञापन संख्या – 01/2026			
क्र.सं.	पद का नाम	एकल पद की संख्या	कट –ऑफ अंक
1.	Joint Director (TI)	01	177
2.	Deputy Director (SI)	01	#
3.	Deputy Director (ICTC)	01	#
4.	Deputy Director (PPTCT)	01	#
5.	Deputy Director (LS)	01	154
6.	Deputy Director (CST)	01	191

विज्ञापन संख्या – 01/2026			
क्र.सं.	पद का नाम	एकल पद की संख्या	कट –ऑफ अंक
7.	Assistant Director (CST)	01	136
8.	Assistant Director (IEC)	01	#
9.	Assistant Director (Documentation)	01	#
10.	Assistant Director (VBD)	01	97
11.	Assistant Director (TI)	01	#
12.	Admin Officer	01	170

सभी योग्य अभ्यर्थी प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित।

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित सूची एवं दिशा-निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन विभिन्न तिथियों में किया जाना निर्धारित की गई है, जो निम्नवत है:-

विज्ञापन संख्या 01/2026				
क्र.सं.	पदों का नाम	पदों की संख्या	तिथि एवं समय	स्थान
1.	Joint Director (TI)	01	दिनांक 14.09.2026 समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14
2.	Deputy Director (SI)	01		
3.	Deputy Director (ICTC)	01		
4.	Deputy Director (PPTCT)	01		
5.	Deputy Director (LS)	01		
6.	Deputy Director (CST)	01		
7.	Assistant Director (CST)	01		
8.	Assistant Director (IEC)	01		
9.	Assistant Director (Documentation)	01		
10.	Assistant Director (VBD)	01		
11.	Assistant Director (TI)	01		
12.	Admin Officer	01		
13.	Cluster Prevention Officer- CPO	03		
14.	Counsellor – Blood Centre	03		
15.	Cluster Programme Manager- CPM	08	दिनांक 15.09.2026 समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक	
16.	Clinical Services Officer- CPO	08		
17.	Data Monitoring & Documentation Officer- DMDO	08		
18.	Lab Technician – Blood Centre	27	दिनांक 16.09.2026 समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक	

विज्ञापन संख्या 01/2026				
क्र.सं.	पदों का नाम	पदों की संख्या	तिथि एवं समय	स्थान
19.	Counsellor – ICTC	29	दिनांक 17.09.2026 समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक	
20.	Lab Technician – ICTC	107	दिनांक 18 .09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026 एवं 23.09.2026 समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक	

प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्टेड कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची (आवेदन /निबंधन संख्या के क्रम में) बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के वेबसाइट <https://bsacs.bihar.gov.in/> पर प्रकाशित है। उक्त प्रकाशित सूची पूर्णतः औपबंधिक है। प्रमाण-पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को ही अंतिम मेधा सूची में कोटिवार रिक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार चयनित किया जायेगा।

अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :-

1. अभ्यर्थियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र हेतु कट-ऑफ तिथि 26/05/2026 है, जो कि प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित है।
2. उक्त पद के अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि को वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के क्रमानुसार स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण-पत्र सत्यापन करायेंगे।
3. प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
4. इस संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित प्रमाण-पत्र सत्यापन संबंधी सभी निदेशों का अनुपालन करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
5. Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि को (प्रकाशित सूची / तिथि के अनुसार) विज्ञापन में उल्लेखित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित/अपलोड किया गया है) अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रमाण-पत्र सत्यापन में अभ्यर्थी को निम्नलिखित Documents (मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा -
 - (i) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है।

- (ii) ऑनलाईन भरे गये आवेदन-पत्र (Application Form) की प्रिन्ट कॉपी।
- (iii) वीक्षक (Invigilator) द्वारा हस्ताक्षरित परीक्षा प्रवेश पत्र (Admit Card-Candidate Copy) की प्रति।
- (iv) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- Voter ID, AADHAR, PAN, Driving Licence इत्यादि (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है)।
- (v) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
- (vi) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी अंक पत्र, सर्टिफिकेट इत्यादि (जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किया गया है)।
- (vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (viii) आरक्षण का दावा करने से संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार हैं:-
 - आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-12575 दिनांक 09.07.2025 के आलोक में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 8962 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में केवल बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
 - Online आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
 - A. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - a) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - b) जाति प्रमाण-पत्र
 - B. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - a) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - b) जाति प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
 - C. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - a) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - b) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (सा० प्र० विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के अनुसूची-1/प्रपत्र-1 में)।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के समक्ष प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- दिव्यांगता तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती से संबंधित आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत वैद्य प्रमाण-पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगी।
 - किसी भी प्रकार की त्रुटि / भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - विज्ञापन में उल्लेखित प्रमाण-पत्र से संबंधित सभी नियमों का पालन करना आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।
 7. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाईन आवेदन में किया है।
 8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट-<https://bsacs.bihar.gov.in/> पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना जिम्मेदार नहीं होगी।
 9. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा।
 10. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना का उक्त बिन्दु पर निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- उक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना, के अधिकृत वेबसाइट <https://bsacs.bihar.gov.in/> से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रभारी स्थापना
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना